न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू, आर0ए0एस0

अपील प्र0सं0 85/2022

किरणलता बिश्नोई पुत्री श्री रामेश्वर पत्नि श्री जयसिंह बिश्नोई उम्र 44 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी 745 सैक्टर, 12 ए मंत्रीगण आवासीय कॉपलेक्स, पंचकुला, चण्डीगढ़

अपीलांट

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र श्री रामेश्वर जाति बिश्नोई निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर
2. शिव कुमार पुत्र श्री रामेश्वर जाति बिश्नोई निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रायसिंहनगर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व इतंकाल संख्या 10/28.06.1990 निर्णय उपतहसीलदार मुकलावा

उपस्थित : 1. श्री अवतार सिंह अधिवक्ता, अपीलांट
2. श्री विक्रम पूनियां, अधिवक्ता, रेस्पोडेण्टस की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

दिनांक :20/06/2023.

आदेश

अपीलांटा द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्टस के खिलाफ अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट की दादी मीरा पत्नि श्री सहीराम के नाम से चक 2 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु. नं. 23, 24, 31, 42 के 100 बीघा भूमि में से 1/3 भाग भूमि थी, अपीलांटा की दादी विधवा औरत थी और बीमार रहती थी, यह भूमि अपीलांट के दादा के द्वारा मीरा के नाम करवायी गयी थी, मीरा औरतजात होने के नाते उसकी देखभाल अपीलार्थीया व उसकी बहिनें व माता करते थे, मीरा अपनी मृत्यु से करीब 10 वर्ष पूर्व बीमार चली आ रही थी व अपनी दैनिक क्रिया भी बिना किसी सहारे के करने में असमर्थ थी और बीमारी के कारण मीरा अपनी सुद्व बुद्व खो चुकी थी तथा सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी थी परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा मीरा के नाम की भूमि को हड़प करने की नियत से उनके नाम की एक फर्जी व कूटरचित वसीयत दिनांक 30.06.1988 को तैयार करवा ली और उनकी मृत्यु के पश्चात् उपपंजीयक रायसिंहनगर के यहां पंजीबद्व करवाकर राजस्व न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ कर उनके नाम की भूमि का इतंकाल अपने नाम से करवा लिया, परन्तु अपीलाधीन आदेश मे वर्णित भूमि में अपीलार्थीया के हिस्से तक का कब्जा अपीलार्थीया के पास चला आ रहा है। वादग्रस्त इतंकाल तस्दीक करते समय अपीलार्थीया को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही नियमों से हटकर की गयी है जो अवैद्यानिक है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम से जो इंतकाल दर्ज किया गया है, उसके संबंध में जो वसीयत है, वह दिनांक 30.06.1988 की है और दिनांक 08.09.1988 को मीरा की मृत्यु हो गयी और मृत्यु के एचात् उपपंजीयक द्वारा दिनांक 08.05.1990 को वसीयत पंजीबद्व की जाती है जिसके संबंध में विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अगर उसीयत नियमानुसार व मीरा देवी की सहमति से की होती तो रेस्पोडेण्ट द्वारा दो साल तक नामान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ न करना और प्रक्रिया प्रारम्भ करने के एचात् विधिक उत्तराधिकारियों को सूचना न देना भी वसीयत को संदिग्ध बनाता है। अगर मीरा देवी द्वारा तहसील परिसर में आकर वसीयत लिखवायी थी तो वह उसी दिन ही उपपंजीयक के यहां

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

तस्दीक करना देती, क्योंकि वसीयत फर्जी एवं कूटरचित है, इसलिए अपीलाधीन इंतकाल निरस्ती के लायक है।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलांटा ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेण्ट द्वारा मीरा के नाम की भूमि को फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल के जरिये अपने नाम करवा ली। अपीलाधीन इंतकाल के समय मीरा के विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। प्रश्नगत वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत नहीं है। केवल नोटेरी प्रमाणित है। वसीयत दिनांक 30.06.1988 को निष्पादित की गयी है एवं इसे मीरा की मृत्यु (08.09.1988) के पश्चात् दिनांक 08.05.1990 को उपखजीयक द्वारा पंजीबद्ध करवायी गयी है। चुंकि उपतहसील का आदेश अवैध आदेश है, अतः इस पर limitation लागू नही होता व इतंकाल की नकल प्राप्त होते ही अपील कर दी गयी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि सबसे पहले सहीराम के नाम थी । सहीराम की मृत्यु के पश्चात् सहीराम के विधिक वारिसान के नाम दर्ज हुई। मीरा सहीराम की पत्नि थी। मीरा ने अपने नाम आयी जमीन को दिनांक 30.06.1988 को जरिये वसीयत रेस्पोडेण्ट के नाम वसीयत निष्पादित की। मीरा के पुत्र रामेश्वर की मृत्यु सन् 2010 में हो चुकी थी, अतः मीरा के 2 पुत्र रेस्पोडेण्टस व 4 पुत्रियों को वसीयत निर्णित करते समय सुनवाई का अवसर दिया गया। मीरा अपनी सम्पति की पूर्ण स्वामिनी थी, उसे वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। अपीलांटा रामेश्वर की पत्नि है जिसे अपील पेश करने की अधिकारिता नहीं थी, न ही अपीलांटा द्वारा अपील करने से पूर्व धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः अपील अपीलांटा खारिज फरमावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन इंतकाल दिनांक 28.06.1990 का है। अपीलांटा द्वारा अपील दिनांक 02.05.2022 को पेश की गयी है, तथापि इस अपील को मियाद के बिंदु पर खारिज न कर गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है। वसीयतकर्ता मीरा द्वारा दिनांक 30.06.1988 को नोटेरी से प्रमाणित वसीयत रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के पक्ष में निष्पादित की गई है। वसीयत में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि वह वृद्धावस्था की हो चुकी है, अकसर बीमार रहती है, मुझे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और चक 2 एनपी की 33.06 बीघा कृषि भूमि को लेकर उतराधिकारियों में विवाद उत्पन्न न हो इसलिए वसीयत करना उचित समझती हूं। उक्त वसीयत के अनुसार चक 2 एनपी के मु. नं. 23, 24, 31, 42 में कुल 100.00ब बीघा कृषि भूमि रामेश्वरलाल पुत्र सहीराम व राममूर्ति पुत्री सहीराम जाति बिश्नोई निवासी मुकलावा की सहभागीदारी में संयुक्त खाता की धारण करती है जिसमें वसीयतकर्ता का 1/3 हिस्सा है जिसे वह वसीयत आदि करने में सक्षम है। मीरा द्वारा अपने हिस्से की भूमि की वसीयत अपने पोतों अशोक कुमार बिश्नोई व शिवकुमार बिश्नोई पुत्रगण श्री रामेश्वरलाल को की गई है। वसीयत अपंजीकृत होने से प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वसीयत को गवाहान व नोटेरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गवाहान की साक्ष्य लेखबद्व की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत को दिनांक 08.05.1990 को पंजीकृत किया गया है। अपीलांट को यदि वसीयत पर कोई विधिक आपति है तो उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोई कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपतहसीलदार मुकलावा की रिपोर्ट 1107 दिनांक 26.06.2023 के अनुसार वसीयत के निर्णय के संबंध में कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

इतकाल संख्या 10 दिनांक 28.06.1990 के अवलोकन से प्रकट होता है कि इसके कॉलम सं 10 से 14 में किसी आदेश का हवाला नहीं दिया गया है। कथीयत रजिस्टर्ड नहीं है एवं इसे किसी सक्षम आदेश के बिना दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण उपतहसीलदार मुकलावा को रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर निर्णित करे।

आदेश आज दिनांक 20/06/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उम्मेद सिंह रतनू)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (मुख्यालय)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner